



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 914) पटना, बुधवार, 19 अक्टूबर 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं

18 अक्टूबर 2016

सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4029—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारियों से भिन्न निम्नलिखित पदाधिकारियों को उत्पाद पदाधिकारी के रूप में तुरत के प्रभाव से नियुक्त करती है —

- (i) जिला के अपर समाहर्ता—सम्पूर्ण जिला के लिये।
- (ii) अनुमंडल दंडाधिकारी— सम्पूर्ण अनुमंडल के लिये।
- (iii) भूमि सुधार उप समाहर्ता — सम्पूर्ण अनुमंडल के लिये।
- (iv) जिला के सभी वरीय उप समाहर्ता —सम्पूर्ण जिला के लिये।
- (v) जिला के सभी कार्यपालक दंडाधिकारी—स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के लिये।
- (vi) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी — सम्पूर्ण प्रखंड के लिये।
- (vii) सभी अंचलाधिकारी — सम्पूर्ण अंचल के लिये।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

18 अक्टूबर 2016

सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4029—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 18th October 2016*

No. 11/Adhi. Karya.-01-06/2016/4029—In exercise of the powers conferred under Section 12 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the State Government hereby appoints the following officers other than the officers of the Registration, Excise and Prohibition Department as the “Excise Officer” under the Act with immediate effect :-

- (i) Additional Collector of a District – for the entire district;
- (ii) Sub Divisional Magistrates - for the entire sub division;
- (iii) Deputy Collector Land Reforms - for the entire sub division;
- (iv) All Senior Deputy Collectors of a District – for the entire district;
- (v) All Executive Magistrates of a District – for the area of their local jurisdiction;
- (vi) All Block Development Officers – for the entire block;
- (vii) All Circle Officers – for the entire Circle.

By Order of the Governor of Bihar,  
AMIR SUBHANI,  
*Principal Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 914-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>